भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/2025-26/82

विवि.एमसीएस.आरईसी.50/01.01.003/2025-26 26 सितंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निदेश, 2025

I. परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ज़ेडए से ज़ेडएफ तथा उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं में नामांकन की सुविधा, का उद्देश्य ग्राहक के दिवंगत होने पर बैंकों द्वारा दावों का शीघ्र निपटान करना और परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसके साथ, जिन मामलों में नामांकन को पंजीकृत नहीं किया गया है, वहाँ मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंकों को एक सीमा तक दावों के निपटान के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनानी होगी। हालाँकि, यह देखा गया है कि बैंकों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। अतः, इस संबंध में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दस्तावेज़ीकरण को मानकीकृत करने हेतु मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने और संशोधित विनियम जारी करने का निर्णय लिया गया है।

II. प्रारंभिक

ए. प्रस्तावना

2. यह निदेश दिवंगत ग्राहक के जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटान हेतु एक सुसंगत फ्रेमवर्क देने और दस्तावेज़ीकरण को मानकीकृत करने तथा नामितियों, उत्तरजीवियों और उत्तराधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए जारी किए गए हैं।

बी. शक्तियों का प्रयोग

3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, 45ज़ेडसी(3) और 45 ज़ेडई (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे रिज़र्व बैंक कहा जाएगा), इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, आगे निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

सी. संक्षिप्त शीर्षक

4. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों के दिवंगत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
टेलीफोन /Tel No: 22601000 फैक्स/ Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692
Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Central Office Building, Shaheed Bhagat Singh Marg, Mumbai – 400001
Tel No: 91-22-22601000/ 22820710

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

डी. प्रभावी तिथि

5. इन निदेशों के माध्यम से जारी अनुदेशों का कार्यान्वयन यथासंभव शीघ्रता से परंतु 31 मार्च, 2026 से पहले किया जाएगा ।

ई. प्रयोज्यता

6.(ए) यह निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

(बी) यह निदेश बैंकों द्वारा प्रशासित सरकारी बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) आदि के मामले में लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में दावों का निपटान संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार होगा।

एफ. परिभाषाएँ

7. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ए) **'उत्तरजीविता खंड वाले खाते'** से तात्पर्य संयुक्त जमा खातों से है, जिन्हें 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी', अथवा 'कोई भी या उत्तरजीवी', अथवा 'पूर्व या उत्तरजीवी' अथवा 'उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी' अथवा ऐसे किसी अन्य खंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) **'एपोस्टिल'** एक ऐसे प्रमाणपत्र को संदर्भित करता है जो किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ (जैसे, जन्म, विवाह या मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई निर्णय, किसी रजिस्टर का उद्धरण या नोटरी सत्यापन) की मौलिकता को प्रमाणित करता है। एपोस्टिल केवल हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के एक पक्षकार देश में जारी किए गए दस्तावेज़ों हेतु जारी किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग किसी अन्य देश में किया जाना है जो कन्वेंशन का भी एक पक्षकार है। भारत में, ऐसे सत्यापन विदेश मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

(सी) **'बैंक दर'** से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित दर से है।

(डी) **'ग्राहक'** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो जमाकर्ता या लॉकर किराएदार हो अथवा जिसने किसी बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुएँ रखी हुई हों।

(ई) **'जमाकर्ता'** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों से है जिसका बैंक में किसी भी प्रकार का जमा खाता हो, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता आदि।

(एफ) **'समतुल्य ई-दस्तावेज'** का वही अर्थ होगा जो यथासंशोधित मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 3(ए)(x) में परिभाषित है।

(जी) **'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज'** से तात्पर्य यथासंशोधित मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैरा 3(ए)(xiv) में वर्णित दस्तावेजों से है।

(एच) **'निर्धारित सीमा'** का अर्थ सहकारी बैंक के मामले में ₹5 लाख और किसी अन्य बैंक के मामले में ₹15 लाख या सहकारी बैंक सहित बैंक द्वारा निर्धारित की गई कोई उच्च सीमा है।

अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें यहाँ परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के अंतर्गत या वाणिज्यिक शब्दावली में मामले के अनुसार प्रदान किया गया है।

III. दिवंगत जमाकर्ता के जमा खातों में दावों का निपटान

जी. नामिती(यों)/उत्तरजीविता खंड वाले खाते

8. ऐसा जमा खाता जहाँ जमाकर्ता ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन किया हो या जहाँ खाता उत्तरजीविता खंड के साथ खोला गया हो, वहाँ जमाकर्ता(ओं) की मृत्यु पर नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को बकाया राशि का भुगतान बैंक के दायित्व से वैध निर्वहन माना जाएगा, बशर्ते:

(i) बैंक ने नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) की पहचान और खाताधारक(कों) की मृत्यु संबंधी स्थिति को उचित दस्तावेजी साक्ष्य (भौतिक या समकक्ष ई-दस्तावेज) प्राप्त करके स्थापित करने में उचित सावधानी और सतर्कता बरती हो;

(ii) निपटान/भुगतान की तिथि तक बैंक की जानकारी में सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है जो नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को दिवंगत जमाकर्ता(ओं) के खाते से भुगतान प्राप्त करने या बैंक को भुगतान करने से रोकता हो; और

(iii) नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को लिखित रूप में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे दिवंगत जमाकर्ता(ओं) के उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त करेंगे अर्थात उन्हें किया गया ऐसा भुगतान नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा, जो उन्हें किए गए भुगतान की सीमा तक हो सकता है।

उत्तरजीविता खंड के साथ या उसके बिना संयुक्त जमा खाते के मामले में, नामिती का अधिकार की स्थिति सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होती है।

9. पूर्वोक्त शर्तों के अधीन, नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को किया गया भुगतान, बैंक के दायित्व का पूर्ण और वैध निर्वहन माना जाएगा। अतः, ऐसे मामलों में, दिवंगत जमाकर्ता(ओं) के नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को भुगतान करते समय, बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र, वसीयत की प्रोबेट आदि जैसे विधिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर ज़ोर नहीं देगा, या नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों)/तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति/ज़मानत का कोई बांड नहीं मांगेगा, चाहे दिवंगत खाताधारक(कों) के खाते में कितनी भी राशि जमा हो। ऐसे मामलों में बैंक निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा:

(i) **अनुबंध I-ए** में दिए गए दावे का प्रपत्र, नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित;

(ii) दिवंगत जमाकर्ता(ओं) का मृत्यु प्रमाण पत्र; और

(iii) नामिती/उत्तरजीवी की पहचान और पते के सत्यापन हेतु आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।

एच. नामिती/उत्तरजीविता खंड रहित खाते

10. दावों के निपटान हेतु सरलीकृत प्रक्रिया

उत्तराधिकारियों/दावेदारों को असुविधा और अनावश्यक कठिनाई से बचाने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक उन जमा खातों के संबंध में दावों के निपटान हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया का पालन करेगा जहाँ आवेदन की तिथि तक उपार्जित ब्याज सहित देय कुल राशि, **निर्धारित सीमा** से कम है, बशर्ते कि

(i) दिवंगत जमाकर्ता(ओं) ने कोई नामांकन नहीं किया हो या संयुक्त खाते के मामले में, खाता नामिती/उत्तरजीविता खंड रहित हो,

(ii) दिवंगत जमाकर्ता(कों) द्वारा कोई वसीयत नहीं छोड़ी गई हो,

(iii) कोई विवादित दावा न हो, और

(iv) बैंक की जानकारी में किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश न हो, जो दावेदार(रों) को प्राप्त करने या बैंक को भुगतान करने से रोकता हो।

(ए) निर्धारित सीमा तक दावा राशि

बैंक निर्धारित सीमा तक दावे का निपटान इन के आधार पर करेगा:

(i) **अनुबंध I-बी** में दिया गया दावा प्रपत्र, जिसे विधिवत भरा गया हो और जिस पर दावेदार(रों), उन दावेदारों के अलावा जिन्होंने अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए हों, द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

(ii) दिवंगत जमाकर्ता(ओं) का मृत्यु प्रमाण पत्र;

(iii) दावेदार(रों) की पहचान और पते के सत्यापन हेतु उनका आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़;

(iv) **अनुबंध I-सी** में दिया गया क्षतिपूर्ति बांड, जिस पर दावेदार(ओं) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों;

(v) गैर-दावेदार उत्तराधिकारी(यों) से **अनुबंध I-डी** में दिया गया अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र, यदि लागू हो; और

(vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र;

अथवा

दिवंगत जमाकर्ता(ओं) के उत्तराधिकारियों के संबंध में, किसी स्वतंत्र व्यक्ति, जो दिवंगत के परिवार को भली-भांति जानता हो, दावे का पक्षकार नहीं हो और बैंक को स्वीकार्य हो, द्वारा **अनुबंध I-ई** में दी गई घोषणा।

निर्धारित सीमा तक के दावों के मामले में किसी तृतीय पक्ष से ज़मानत का कोई बांड नहीं लिया जाएगा।

(बी) निर्धारित सीमा से अधिक दावे की राशि

ऐसे मामलों में जहाँ दावे की राशि निर्धारित सीमा से अधिक है, बैंक दावे का निपटान निम्नलिखित के आधार पर करेगा:

(i) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और उपर्युक्त खंड 10(ए)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेज़;

अथवा

(ii) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र; या

अनुबंध I-ई में दिए गए अनुसार, दिवंगत जमाकर्ता के उत्तराधिकारियों के संबंध में नोटरी पब्लिक/न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति, जो दिवंगत के परिवार को अच्छी तरह से जानता हो, दावे का पक्षकार न हो और बैंक को स्वीकार्य हो, द्वारा दिया गया शपथ पत्र।

ऐसे मामलों में, बैंक उपर्युक्त खंड 10(ए)(i) से (v) में दिए गए दस्तावेज़ों की माँग करेगा। बैंक, तृतीय पक्ष के व्यक्तियों (जिसमें गैर-दावाकर्ता उत्तराधिकारी भी शामिल हो सकते हैं) से, जो बैंक को स्वीकार्य हों तथा दावे की राशि के लिए उपयुक्त हों, जमानत बांड की मांग भी कर सकता है, जैसा कि **अनुबंध I-सी** में दिया गया है।

11. सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत न आने वाले दावों का निपटान

(ए) बिना किसी विवाद के 'वसीयत' से जुड़े दावे

बैंक, दिवंगत जमाकर्ता द्वारा छोड़ी गई 'वसीयत' से संबंधित दावों का निपटान, उपरोक्त खंड 10(ए)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त, वसीयत प्रोबेट/प्रशासन पत्र (जैसा भी लागू हो) के आधार पर करेगा। ऐसे मामलों में जहाँ वसीयत में उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में नामित किया गया हो, उससे संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएँगे।

हालाँकि, बैंक अपने विवेकानुसार वसीयत प्रोबेट प्रस्तुत करने पर ज़ोर न देते हुए दिवंगत की 'वसीयत' के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वह लागू कानूनों के साथ असंगत न हो, वसीयत में नामित उत्तराधिकारियों और/या लाभार्थियों के बीच वसीयत को लेकर कोई विवाद न हो और बैंक वसीयत की वास्तविकता से अन्यथा संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में, बैंक उपरोक्त खंड 10(ए)(iv) और (v) में उल्लिखित दस्तावेज़ की भी माँग करेगा।

(बी) दावों/विवादों से संबंधित मामले

दिवंगत जमाकर्ता की वसीयत में नामित उत्तराधिकारियों और/अथवा लाभार्थियों में दावों अथवा विवाद की स्थिति में, बैंक वसीयत की प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा न्यायालय के आदेश/डिक्री, जो भी लागू हो और उपरोक्त खंड 10(ए)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर दावों का निपटान करेगा। इसके अतिरिक्त, जहाँ न्यायालय द्वारा बैंक को भुगतान करने से रोकने का

आदेश हो, वहाँ उस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। दावे के निपटान पर उस आशय के बाद के न्यायालय आदेश के आधार पर विचार किया जाएगा।

(सी) पैरा 11(ए) अथवा 11(बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में किसी तीसरे पक्ष से ज़मानत का कोई बांड नहीं मांगा जाएगा।

आई. निपटान के बाद दिवंगत जमाकर्ता के नाम पर क्रेडिट का प्रबंधन

12. जमा खाते(खातों) के निपटान के बाद, यदि किसी दिवंगत जमाकर्ता के नाम पर कोई जमा राशि प्राप्त होती है, तो बैंक उसे 'खाताधारक दिवंगत' टिप्पणी के साथ प्रेषक को लौटाएगा और नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों) को सूचित करेगा ।

जे. जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में सावधि जमा खातों की समयपूर्व समाप्ति

13. बैंक को खाता खोलने के फार्म में ही एक खंड शामिल करना होगा कि जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, सावधि जमा की समय पूर्व समाप्ति बिना किसी दंडात्मक प्रभार के की जा सकेगी, भले ही जमाराशि अवरुद्धता अवधि के भीतर हो।

14. उत्तरजीविता खंड के साथ अथवा उसके बिना संयुक्त रूप से खोले गए सावधि जमा खातों की समय पूर्व समाप्ति के लिए , किसी एक जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, जीवित जमाकर्ताओं और दिवंगत संयुक्त धारक के उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होगी। हालाँकि, उत्तरजीविता खंड वाले संयुक्त खातों के मामले में, यदि सभी जमाकर्ताओं द्वारा बैंक को सावधि जमा करते समय अथवा जमा की अवधि के दौरान किसी भी समय संयुक्त रूप से एक विशिष्ट अधिदेश दिया जाता है, तो किसी भी जमाकर्ता की मृत्यु होने पर, दिवंगत संयुक्त जमा धारक के उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना, उत्तरजीवियों को समयपूर्व निकासी का विकल्प दिया जाएगा।

के. गुमशुदा व्यक्तियों के दावों का निपटान

15. किसी गुमशुदा व्यक्ति के नामिती/उत्तराधिकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 110 अथवा 111 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे गुमशुदा व्यक्ति के दावे का निपटारा दिवंगत ग्राहक के संबंध में दावों के निपटान हेतु लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर खाताधारक की सिविल मृत्यु घोषित करने वाले न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त की जाएगी। हालाँकि, आम जन को होने वाली असुविधा और अनुचित कठिनाई के परिवर्जन के लिए, जहाँ आवेदन की तिथि पर उपचित ब्याज सहित कुल देय राशि

₹1 लाख अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी उच्च राशि से कम है, तो दावे के निपटारे के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा खाताधारक की सिविल मृत्यु घोषित करने वाले सक्षम न्यायालय के आदेश के स्थान पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और गुमशुदगी की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की जाएगी।

IV. दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के दावों का निपटान

एल. नामिती/उत्तरजीवी के दावे

16. (ए) यदि लॉकर का एकमात्र किरायेदार अपनी मृत्यु की स्थिति में लॉकर में रखी सामग्री को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित करता है, तो बैंक ऐसे नामिती (व्यक्तियों) को लॉकर के पहुँच की अनुमति देगा, साथ ही लॉकर की सामग्री निकालने की स्वतंत्रता भी देगा।

(बी) यदि लॉकर को संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया हो और उसे संयुक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत संचालित करने के निर्देश दिए गए हों, तथा लॉकर के किराएदार किसी अन्य व्यक्ति को नामित करते हों, तो लॉकर किराएदारों में से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक नामिती (नामितियों) तथा उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) को लॉकर पहुंच तथा उसमें रखी सामग्री को संयुक्त रूप से निकालने की छूट देगा।

(सी) यदि लॉकर को उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था और किराएदारों को निर्देश दिया गया था कि लॉकर तक पहुंच "दोनों में से किसी एक अथवा उत्तरजीवी व्यक्ति", "कोई भी अथवा उत्तरजीवी व्यक्ति" अथवा "पूर्ववर्ती अथवा उत्तरजीवी व्यक्ति" को अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत अनुमत किसी अन्य उत्तरजीविता खंड के अनुसार दी जानी चाहिए, बैंक एक अथवा अधिक संयुक्त लॉकर किराएदारों की मृत्यु की स्थिति में अधिदेश का पालन करेगा।

17. नाबालिग नामिती के मामले में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि नाबालिग नामिती की ओर से लॉकर की सामग्री निकालने की मांग किए जाने पर, उसे उस अभिभावक को सौंप दिया जाए जिसका विवरण नामांकन पत्र में दिया गया है। यदि नामांकन पत्र में अभिभावक का विवरण नहीं दिया गया है, तो बैंक लॉकर की सामग्री उस व्यक्ति को सौंप देगा जो विधिक रूप से ऐसे नाबालिग की ओर से सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम हो।

18. उपरोक्त पैरा 16(ए) और 16(बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में दावे पर कार्रवाई के लिए बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे:

(i) दावा प्रपत्र, जैसा कि **अनुबंध I-ए** में दिया गया है, नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित;

(ii) सुरक्षित जमा लॉकर किरायेदार(रों) का मृत्यु प्रमाण पत्र; और

(iii) नामिती/उत्तरजीवी की पहचान और पते के सत्यापन के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज ।

19. तथापि, बैंक को नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) व्यक्ति को सामग्री तक पहुंच प्रदान करने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

(i) नामिती/उत्तरजीवी व्यक्ति की पहचान और लॉकर किरायेदार के दिवंगत होने की स्थिति स्थापित करने में उचित सावधानी और सतर्कता बरतें;

(ii) बैंक के संज्ञान में आज तक किसी न्यायालय/फोरम से ऐसा कोई आदेश अथवा निदेश नहीं है, जो नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) को दिवंगत किरायेदार(रों) को लॉकर तक पहुंच देने अथवा बैंक को ऐसे लॉकर की सामग्री निकालने की स्वाधीनता देने से रोकता हो; तथा

(iii) नामिती/उत्तरजीवी व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दें कि लॉकर की सामग्री को निकालने की पहुंच और स्वाधीनता उन्हें केवल दिवंगत लॉकर किरायेदार के उत्तराधिकारी के ट्रस्टी के रूप में दी गई है, अर्थात, उन्हें दी गई ऐसी पहुंच और सामग्री को निकालने की स्वाधीनता, नामिती/उत्तरजीवी व्यक्ति, जिसे पहुंच दी गई है, के विरुद्ध किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा दावे को प्रभावित नहीं करेगी ।

20. उपरोक्त पैरा 18 में उल्लिखित दस्तावेज़ प्राप्त और दावे की वास्तविकता से संतुष्ट होने के उपरांत, बैंक नामिती/उत्तरजीवी व्यक्ति से लिखित रूप में पत्राचार करेगा और सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची बनाने के लिए तिथि और समय निर्धारित करेगा। यह सूची नामिती/उत्तरजीवी व्यक्ति और/अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, दो स्वतंत्र साक्षियों (बैंक के कर्मचारी अथवा भूतपूर्व कर्मचारी नहीं होने चाहिए), सुरक्षित जमा लॉकर के संरक्षक और बैंक के किसी अन्य कर्मचारी, जो लॉकर संचालन से संबद्ध नहीं है, की उपस्थिति में बनाई जाएगी और **अनुबंध I-एफ** में दी गई वस्तु-सूची प्रपत्र के अनुसार दर्ज की जाएगी । इसके उपरांत बैंक लॉकर की सामग्री का कब्जा नामिती व्यक्ति/उत्तरजीवी व्यक्ति /नाबालिग की ओर से सामग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को सौंप देगा और अनुबंध I-एफ में दी गई पावती प्राप्त करेगा कि दिवंगत किरायेदार के लॉकर से सभी सामग्री निकाल ली गई और लॉकर खाली है, और उन्हें बैंक के मानदंडों के अनुसार किसी अन्य लॉकर किरायेदार को लॉकर आवंटित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

21. नामिती(यों)/उत्तरजीवी(यों) द्वारा विधिक दस्तावेज जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र, वसीयत प्रोबेट आदि अथवा क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि नामांकन में कोई विसंगति न हो।

22. दिवंगत ग्राहक द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए उपरोक्त पैरा 16 से 21 में निर्धारित प्रक्रिया का *यथोचित परिवर्तनों सहित* पालन किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में **अनुबंध I-जी** में दिए गए वस्तु-सूची प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।

एम. नामिती/उत्तरजीविता खंड न होने के मामले

23. सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले दावों का निपटान

(ए) उत्तराधिकारियों/दावेदारों को असुविधा और अनुचित कठिनाई के परिवर्जन की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सुरक्षित जमा लॉकरों में दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएगा, *बशर्ते कि* विधिक उत्तराधिकारियों/दावेदारों के बीच कोई विवाद न हो और

(i) दिवंगत लॉकर किरायेदार ने कोई नामांकन नहीं किया था, अथवा

(ii) संयुक्त किरायेदारों ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि एक स्पष्ट उत्तरजीविता खंड द्वारा उत्तरजीवियों में से एक अथवा अधिक को पहुंच प्रदान की जा सकती है, अथवा

(iii) दिवंगत लॉकर किरायेदार द्वारा कोई वसीयत नहीं छोड़ी गई है ।

(बी) सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले मामलों में, बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र, न्यायालय आदेश आदि जैसे कोई विधिक दस्तावेज प्राप्त किए बिना दावे का निपटान करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करेगा।

(i) **अनुबंध I-बी** में दिए गए अनुसार दावा प्रपत्र, दावेदार के उत्तराधिकारी(यों) द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित;

(ii) सुरक्षित जमा लॉकर किरायेदार(रों) का मृत्यु प्रमाण पत्र;

(iii) दावेदार(रों) की पहचान और पते के सत्यापन के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज;

(iv) गैर-दावाकर्ता उत्तराधिकारियों से, यदि लागू हो, **अनुबंध I-डी** में दिए गए अनुसार अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र ; और

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र, जैसा कि **अनुबंध I-ई** में दिया गया है, जो दिवंगत लॉकर किरायेदार के विधिक उत्तराधिकारी के संबंध में नोटरी पब्लिक/न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा शपथ ली गई

है, जो दिवंगत व्यक्ति के परिवार को अच्छी तरह से जानता है, दावे का पक्षकार नहीं है और बैंक को स्वीकार्य है।

24. सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत न आने वाले दावों का निपटान

(ए) 'वसीयत' से जुड़े बिना किसी विवाद के दावे

बैंक दिवंगत सुरक्षित जमा लॉकर किरायेदार द्वारा छोड़ी गई 'वसीयत' से संबंधित दावों का निपटान वसीयत के प्रोबेट/प्रशासनिक पत्र, जैसा भी लागू हो, और उपरोक्त खंड 23(बी)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर करेगा। ऐसे मामलों में जहां विधिक उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत में लाभार्थी के रूप में नामित किया गया है, तो उसके भी लागू दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।

हालाँकि, बैंक द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और दिवंगत की वसीयत के अनुसार, ऐसी वसीयत के प्रोबेट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना, कार्य किया जा सकता है, बशर्ते कि वह लागू कानूनों के साथ असंगत न हो, वसीयत में नामित विधिक उत्तराधिकारियों और/अथवा लाभार्थियों के बीच वसीयत के संबंध में कोई विवाद न हो और अन्यथा बैंक वसीयत की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में, बैंक इसके अतिरिक्त उपरोक्त खंड 23(बी)(iv) और (v) में उल्लिखित दस्तावेजों की मांग करेगा।

(बी) दावों/विवादों से संबंधित मामले

विधिक उत्तराधिकारियों और/अथवा वसीयत में नामित लाभार्थियों के बीच विवाद से संबंधित मामलों का निपटान, जैसा भी लागू हो, वसीयत की प्रोबेट अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा प्रशासनिक पत्र अथवा न्यायालय के आदेश/डिक्री, जैसा भी मामला हो, और उपरोक्त खंड 23(बी)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

25. सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची लेने की प्रक्रिया

उपरोक्त खंड 23 और 24 की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले दावों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद और दावे की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, बैंक लिखित रूप में दावेदार(रों) के साथ पत्राचार करेगा और सभी दावेदार(रों) अथवा उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों, दो स्वतंत्र साक्षियों (बैंक के कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारी नहीं होने चाहिए), सुरक्षित जमा कक्ष संरक्षक और बैंक के किसी अन्य कर्मचारी, जो लॉकर परिचालन से संबद्ध नहीं है, की उपस्थिति में सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची, जैसा कि **अनुबंध I-एफ़** में निर्धारित फॉर्म में दिया गया है, बनाने के लिए एक तारीख और समय तय करेगा । सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा

तथा **अनुबंध I-एच** में दिए गए अनुसार क्षतिपूर्ति बांड में दर्ज किया जाएगा। दावेदार/(रों) अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि क्षतिपूर्ति बांड जमा करने के बाद लॉकर की सामग्री को निकाल सकते हैं। विधिक दस्तावेजों जैसे वसीयत की प्रोबेट अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा प्रशासन पत्र अथवा न्यायालय आदेश/डिक्री आदि के आधार पर निपटाए गए दावों के मामलों में क्षतिपूर्ति बांड देने की आवश्यकता नहीं होगी।

26. दिवंगत ग्राहक द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं को वापस करने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 23 से 25 में निर्धारित प्रक्रिया का यथावश्यक परिवर्तनों सहित पालन किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में **अनुबंध I-जी** में दिया गया वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) फॉर्म उपयोग किया जाएगा।

V. परिचालन और क्षतिपूर्ति से संबंधित पहलू

एन. दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का मानकीकरण

27. बैंक को दावे और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए **अनुबंध I-ए से I-एच** में दिए गए फार्मेट के अनुसार मानकीकृत प्रपत्रों का उपयोग करना होगा।

28. दिवंगत ग्राहक द्वारा रखे गए जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के संबंध में दावों के निपटान के लिए आवश्यक मानकीकृत प्रपत्र और अन्य दस्तावेज दावेदार(रों) की सुविधा के लिए सभी शाखाओं के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ, बैंक को अपनी वेबसाइट पर दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची तथा विभिन्न परिदृश्यों में दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी प्रदर्शित करनी होगी।

29. दावेदार को पावती के आधार पर किसी भी शाखा में दावा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। यदि दावे की प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज दावेदार द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो बैंक इस संबंध में एक पुष्टिकरण भी जारी करेगा। हालाँकि, किसी भी लंबित अथवा अपूर्ण/गलत दस्तावेज़ के मामले में, बैंक द्वारा दावे की प्राप्ति की सूचना देते समय दावेदार को ऐसे दस्तावेज़ों की सूची के बारे में सूचित किया जाएगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद, बैंक द्वारा दावेदार को एक पुष्टिकरण जारी किया जाएगा कि दावे की प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं।

30. बैंक ऐसे दावों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। दावेदार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र अपलोड करने पर, बैंक उचित माध्यम से पावती/पुष्टि भेजेगा तथा दावे की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी (ट्रैकिंग) का प्रावधान भी उपलब्ध कराएगा। ऐसे मामलों में, यदि बैंक दावेदार से प्रस्तुतीकरण/सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, तो दावेदार को बैंक की किसी भी शाखा में ऐसा करने की अनुमति होगी।

ओ. दावों के निपटान की समय सीमा

31. बैंक को दिवंगत ग्राहक के जमा खातों के संबंध में दावे का निपटान इससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर करेगा।

32. सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के मामले में, बैंक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर दावे पर कार्रवाई की जाएगी तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी लॉकर/वस्तुओं की सूची बनाने की तिथि तय करने के लिए दावेदार(रों) से संपर्क किया जाएगा।

पी. दावों के निपटान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

33. यदि किसी जमा संबंधी दावे का निपटान उपरोक्त पैराग्राफ 31 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो बैंक द्वारा दावेदार(रों) को ऐसे विलंब के कारणों से अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के कारण होने वाले विलंब के मामलों में, बैंक द्वारा विलंब की अवधि के लिए देय निपटान राशि पर प्रचलित बैंक दर + 4% प्रति वर्ष से कम नहीं, दर पर ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। देय राशि और प्रचलित बैंक दर की गणना के लिए संदर्भ तिथि, दावेदार से सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि होगी।

34. सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के लिए, बैंक को दावेदार(रों) को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 की दर से मुआवजा देना होगा, उन मामलों में जहां वह उपरोक्त पैराग्राफ 32 में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करता है।

VI. विविध

क्यू. एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के जमा खातों के संबंध में दावों का निपटान

35. एकल स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर रखी गई जमाराशियों के संबंध में भी नामांकन सुविधा उपलब्ध है। तदनुसार, बैंक द्वारा ऐसे खातों के संबंध में दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जैसा कि नामिती/बिना नामिती/उत्तरजीविता खंड के खातों, जैसा भी लागू हो, के लिए ऊपर निर्धारित किया गया है, ।

आर. भारत के बाहर जारी किए गए 'मृत्यु प्रमाण' दस्तावेज़ के प्रमाणन की विधि

36. भारत के बाहर किसी ग्राहक की मृत्यु के मामलों में, 'मृत्यु प्रमाण' दस्तावेज देश के बाहर के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। बैंक ऐसे मामलों में, 'मृत्यु के प्रमाण' के लिए जारी किए गए दस्तावेज़

की मूल प्रमाणित प्रति स्वीकार करेगा, जो जारी करने वाले देश में निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से प्रमाणित हो:

(i) भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी; अथवा

(ii) विदेशी बैंकों की शाखाएँ जिनके साथ भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध हैं; अथवा

(iii) एक न्यायालय मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश अथवा नोटरी पब्लिक; अथवा

(iv) जारी करने वाले देश में भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास द्वारा वाणिज्य दूतावासीकृत; अथवा

(v) प्रेरित (एपोस्टिल)

एस. ग्राहक जागरूकता और प्रचार

37. बैंक अपने ग्राहकों के बीच नामांकन सुविधा/उत्तरजीविता खंड के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखेगा तथा दावों के निपटान की प्रक्रिया के साथ-साथ इन सुविधाओं का व्यापक प्रचार करेगा।

टी. निरसन प्रावधान

38. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा **अनुबंध II** में उल्लिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश, इन निदेशों की प्रभावी तिथि से निरस्त हो जाएंगे।

39. उपरोक्त अनुच्छेद 38 के तहत निरसन प्रावधानों के बावजूद, निरस्त अधिनियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई अथवा की गई कार्रवाई अथवा दिए गए किसी भी निदेश अथवा की गई किसी भी कार्यवाही अथवा लगाए गए किसी भी दंड अथवा जुर्माने को, जहां तक वह इन निदेशों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इन निदेशों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा।

(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I-ए

जमा खातों में दावे के निपटान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए आवेदन पत्र
(नामांकन या उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त खाते वाले मामले)

शाखा प्रबंधक दिनांक:

_____ बैंक

_____ शाखा

महोदया/ महोदय,

श्री/श्रीमती/कुमारी _____(*दिवंगत /लापता ग्राहक का नाम) के *जमा खातों में शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/ द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए *नामिती/उत्तरजीवी के रूप में दावा

मैं/हम _____ (नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)) एतद्द्वारा घोषणा करता/करती /करते हूँ/ हैं कि मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम), जिनकी मृत्यु _____ को हो गई/_____ से लापता/ जिनका पता नहीं चल रहा है, द्वारा रखे गए *जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं में *नामिती/ उत्तरजीवी/ नाबालिग नामिती/ उत्तरजीवी के संरक्षक के रूप में नियुक्त हैं।

2. मैं/हम दिवंगत ग्राहक के बारे में आवश्यक जानकारी नीचे प्रस्तुत करते हैं:

(ए) मृत्यु का दिनांक और स्थान _____

(बी) मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या _____ दिनांक _____ प्राधिकारी _____ (प्रति संलग्न) का विवरण। (सत्यापन के लिए मूल प्रस्तुत किया जाना है)

(सी) आयु (मृत्यु का दिनांक पर) : _____ वर्ष

(डी) वैवाहिक स्थिति (मृत्यु का दिनांक पर) : विवाहित / अविवाहित / विधवा(विधुर)

(ई) पता: _____
शहर/ जिला: _____ पिन: _____ राज्य: _____ देश: _____

3. मैं/हम, इसलिए, नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)/ नाबालिग नामिती/ उत्तरजीवी की ओर से संरक्षक के रूप में जमा खातों में उपार्जित ब्याज सहित शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री देना/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करते हैं:

ए. जमा खाते

क्र. सं.	**जमाराशि की प्रकृति (एसबी/सीए/टीडी, आदि.)**	**खाता संख्या**	**राशि**	**परिपक्वता का दिनांक (टीडी के मामले में)**
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				

बी. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____ धारिता का तरीका: _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

सी. सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री रसीद संख्या _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

4. नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण:

4.1 मैं/हम बैंक से अनुरोध करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि दिवंगत के जमा खातों में देय शेष राशि (आवश्यक समायोजन, सेट-ऑफ, यदि कोई हो, करने के बाद) नीचे दिए गए खाते(खातों) में अंतरित कर दी जाए:

क्र. सं.	**नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण**		**मोबाइल नंबर**	**ईमेल पता**	**बैंक का नाम, खाता प्रकार और संख्या, और आईएफएससी विवरण**
	नाम	**पता**			
1					
2					
3					
4					

4.2 मैं/हम बैंक से अनुरोध करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि *सुरक्षित जमा लॉकरों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई सामग्री को निम्नलिखित व्यक्तियों को वापस कर दिया जाए:

क्र. सं.	नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण		मोबाइल नंबर	ईमेल पता
	नाम	पता		
1				
2				
3				
4				

4.3 नाबालिग नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) के लिए, ऐसे नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) और उसके प्राकृतिक/ विधिक संरक्षक का नाम नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाबालिग नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का नाम	जन्म दिनांक	संरक्षक का नाम	नाबालिग के साथ संबंध	संरक्षक का पता	संरक्षक का मोबाइल नंबर और ईमेल पता
1						
2						

5. मैं/हम वचन देता/ देती/ देते हूँ/ हैं कि

(i) मैं/हम उपर्युक्त राशि/ सामग्री को वास्तविक लाभार्थी(यों) के न्यासी के रूप में प्रत्ययी क्षमता में धारण/प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा मेरे/हमारे साथ किया गया कोई भी निपटाराउनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(ii) उपर्युक्त *खाते/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएं किसी विवाद का विषय नहीं हैं तथा मुझे/हमें दावा करने से या बैंक को मेरे/हमारे पक्ष में या अन्यथा दावे का निपटान करने से रोकने वाला कोई न्यायालय आदेश नहीं है।

(iii) मैं/हम बैंक को ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं और तदनुसार, दिवंगत द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि या बैंक को देय किसी अन्य देय राशि को, दिवंगत द्वारा उपर्युक्त खाते(खातों) में रखी गई शेष राशि से काटने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं।

6. मैंने/हमने अपने/ हमारे दावे के निपटान के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं:

☐ *मृत्यु प्रमाण पत्र (दिवंगत ग्राहक का)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट (लापता व्यक्ति के मामले में)

□ दावा करने वाले नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) की पहचान और पते के समर्थन में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।[1]

7. ऊपर उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

8. * नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का/के नाम और हस्ताक्षर, जो देय शेष राशि/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्री प्राप्त करेंगे :

क्र. सं.	**नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)/ नाबालिग नामिती के संरक्षक का नाम**	**हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान** [2]
1		
2		
3		
4		

साक्षी का नाम और पता (दावेदार(रों) द्वारा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में):

साक्षी के हस्ताक्षर:

*(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

कार्यालय उपयोग के लिए

(बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है)

[1] "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

[2] यदि दावेदार हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो वह बैंक के किसी ज्ञात गवाह की उपस्थिति में अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है।

अनुबंध I-बी

जमा खातों में दावे के निपटान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री देना/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए आवेदन पत्र
(नामांकन या उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा अन्य मामले)

शाखा प्रबंधक दिनांक:

_____ बैंक

_____ शाखा

महोदया/ महोदय,

*** श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम)जमा खातों में शेष राशि के भुगतान /सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री देना/ द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए दावा**

मैं/हम _____ (दावेदार) एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम), जिनकी मृत्यु _____ को हो गई/_____ से लापता/ जिनका पता नहीं चल रहा है, द्वारा रखे गए *जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं के दावेदार हैं।

2. मैं/हम दिवंगत ग्राहक के बारे में आवश्यक जानकारी नीचे प्रस्तुत करता/करती हूँ/ करते हैं:

(ए) मृत्यु का दिनांक और स्थान _____

(बी) मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या _____ दिनांक _____ प्राधिकारी _____ (प्रति संलग्न) का विवरण। (सत्यापन के लिए मूल प्रस्तुत किया जाना है)

(सी) आयु (मृत्यु का दिनांक पर) : _____ वर्ष

(डी) वैवाहिक स्थिति (मृत्यु का दिनांक पर) : विवाहित / अविवाहित / विधवा(विधुर)

(ई) पता: _____

शहर/ जिला: _____ पिन: _____ राज्य: _____ देश: _____

(एफ) धर्म: _____

उल्लेख करें कि उत्तराधिकार का कौन सा कानून लागू होता है _____ (हिंदू, मुसलमान, आदि)

(जी) दिवंगत के उत्तराधिकारी(यों) का नाम, रिश्ता और आयु :

क्र. सं.	**नाम और पता**	**आयु**	**रिश्ता**	**मोबाइल नंबर और ईमेल पता**	**क्या अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं (हां/ नहीं)**
1					
2					
3					
4					

(एच) नाबालिग उत्तराधिकारी(यों) के मामले में, प्राकृतिक संरक्षक/ विधिक संरक्षक का विवरण:

क्र. सं.	**नाबालिग उत्तराधिकारी का नाम**	**जन्म का दिनांक**	**संरक्षक का नाम**	**नाबालिग के साथ संबंध**	**संरक्षक का पता**	**संरक्षक का मोबाइल नंबर और ईमेल पता**
1						
2						

3. मैं/हम, इसलिए, जमा खातों में उपार्जित ब्याज सहित शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपना/अपना दावा प्रस्तुत करता/करती हूं/ करते हैं:

ए. जमा खाते

क्र. सं.	**जमाराशि की प्रकृति (एसबी/सीए/टीडी, आदि.)**	**खाता संख्या**	**राशि**	**परिपक्वता का दिनांक (टीडी के मामले में)**
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				

बी. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____ धारिता का तरीका: _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

सी. सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री रसीद संख्या _____

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

4.1 मैं/हम वचन देता/देती/देते हूँ/हैं कि

(i) मैं/हम उपर्युक्त राशि/भुगतान को वास्तविक लाभार्थी(यों) के न्यासी के रूप में प्रत्ययी क्षमता में धारण/प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा मेरे/हमारे साथ किया गया कोई भी निपटारा उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(ii) उपर्युक्त *खाते/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएं किसी विवाद का विषय नहीं हैं तथा मुझे/हमें दावा करने से या बैंक को मेरे/हमारे पक्ष में या अन्यथा दावे का निपटान करने से रोकने वाला कोई न्यायालय आदेश नहीं है।

(iii) मैं/हम बैंक को ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं और तदनुसार, दिवंगत ग्राहक द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि या बैंक को देय किसी अन्य देय राशि को, दिवंगत ग्राहक द्वारा उपर्युक्त खाते(खातों) में रखी गई शेष राशि से काटने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/ करते हैं।

(iv) इस अनुरोध पत्र के अनुसार दिवंगत के दावे के निपटान के संबंध में/ से उत्पन्न होने वाले किसी भी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि द्वारा किए गए किसी भी दावे, वाद, विधिक कार्यवाही के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करना तथा उसे हानिमुक्त रखना।

4.2 मैं/ हम घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि

(लागू विकल्प का चयन करें)

☐ जहां तक मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास है, दिवंगत द्वारा कोई वसीयत **नहीं** छोड़ी गई है।

☐ मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत वसीयत, दिवंगत द्वारा छोड़ी गई अंतिम वसीयत है तथा यह किसी विवाद का विषय नहीं है।

4.3 मैं/ हम उपर्युक्त दिवंगत की सुरक्षित अभिरक्षा की सामग्री/ सुरक्षित जमा लॉकर/ उपार्जित ब्याज सहित शेषराशि के लिए निम्नानुसार अपना दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ/ करते हैं:

(लागू विकल्प का चयन करें)

☐ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का दिनांक _____ की वसीयत (प्रति संलग्न)। वसीयत का न तो प्रोबेट किया गया है और न ही इसके संबंध में कोई प्रशासन पत्र प्राप्त किया गया है।

☐ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का दिनांक _____ की वसीयत और _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदत्त प्रोबेट (प्रति संलग्न)।

☐ _____ द्वारा _____ में जारी किया गया दिनांक _____ का प्रशासन पत्र संख्या _____ (प्रति संलग्न)।

☐ _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदान किया गया दिनांक _____ का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न)।

☐ _____ स्थित _____ के न्यायालय द्वारा जारी दिनांक _____ की न्यायालय डिक्री (प्रति संलग्न)।

☐ _____ द्वारा _____ में दिनांक _____ के आदेश द्वारा प्रदान किया गया उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न)।

☐ दिवंगत जमाकर्ता के उत्तराधिकारी(यों) के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से घोषणापत्र/ शपथ पत्र (प्रति संलग्न)।

5.1 मैं/ हम बैंक से अनुरोध करता/करती हूँ/ करते हैं कि देय शेष राशि (आवश्यक समायोजन, सेट-ऑफ, यदि कोई हो, करने के बाद) नीचे दिए गए दावेदार(रों) के खाते में अंतरित कर दी जाए:

क्र. सं.	**दावेदार का नाम**	**बैंक का नाम और खाता संख्या**	**आईएफएससी**	**शाखा विवरण**
1				
2				
3				
4				

नाबालिग दावेदार(रों) के लिए, ऐसे दावेदार(रों) और उसके प्राकृतिक/ विधिक संरक्षक का नाम नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**नाबालिग दावेदार(रों) का नाम**	**जन्म दिनांक**	**संरक्षक का नाम**	**नाबालिग के साथ संबंध**
1				
2				

5.2 मैं/ हम बैंक से अनुरोध करता/करती हूँ/ करते हैं कि *सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री को निर्मुक्त कर दिया जाए/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं को निम्नलिखित व्यक्तियों को लौटा दिया जाए:

क्र. सं.	**दावेदार का नाम**
1	

2	
3	
4	

6. मैंने/हमने अपने/ हमारे दावे के निपटान के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं (लागू दस्तावेज़ों का चयन करें):

☐ * मृत्यु प्रमाण पत्र (दिवंगत ग्राहक का)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट (लापता व्यक्ति के मामले में)

☐ दावा करने वाले दावेदार(रों) की पहचान और पते के समर्थन में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।[3]

☐ वसीयत/ वसीयत का प्रोबेट

☐ प्रशासन पत्र

☐ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

☐ न्यायालय की डिक्री/ का आदेश

☐ उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र

☐ दिवंगत ग्राहक के उत्तराधिकारी(यों) के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से घोषणापत्र/शपथ पत्र

☐ दावेदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बांड

☐ तीसरे पक्षकार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिभू/ क्षतिपूर्ति बांड

☐ गैर-दावेदार उत्तराधिकारी(यों) से अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र

7. ऊपर उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

8. दावेदार(रों) का नाम और हस्ताक्षर, जो देय शेष राशि/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं प्राप्त करेंगे:

क्र. सं.	**दावेदार/ नाबालिग दावेदार के संरक्षक का नाम**	**हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान [4]**
1		

[3] "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

[4] यदि दावेदार हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो वह बैंक के किसी ज्ञात गवाह की उपस्थिति में अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है।

2		
3		
4		

साक्षी का नाम और पता (दावेदार(रों) द्वारा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में):

साक्षी के हस्ताक्षर:

*(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

टिप्पणी :1. _____ बैंक इस आवेदन में दिए गए पूर्ण विवरण के अभाव के कारण दावे के निपटान में होने वाली किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और यदि विधिक वारिसों के बीच विवाद हो और वे सभी बैंक को क्षतिपूर्ति देने में शामिल न हों या अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र न दें या जहाँ बैंक को केवल दावेदार(रों) के दिवंगत ग्राहक के वारिस होने की वास्तविकता पर उचित संदेह हो, तो बैंक विधिक दस्तावेज़ माँगने पर ज़ोर दे सकता है। ऐसे मामलों में बैंक दावेदार(रों) को विधिवत सूचित करेगा।

2. यदि बैंक को दिवंगत के विधिक वारिसों से एकाधिक दावे प्राप्त होते हैं या ऐसे मामले में जहां विधिक वारिसों के बीच आपसी विवाद हैं या कोई तीसरा पक्षकार दिवंगत की वसीयत प्रस्तुत करता है, तो बैंक तब तक दावे का निपटान नहीं करेगा जब तक कि संबंधित पक्षकार सक्षम न्यायालय से आदेश/ डिक्री या वसीयत का प्रोबेट (जो भी लागू हो) प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक दावे को रोक कर/ लंबित रखा जाएगा।

कार्यालय उपयोग के लिए

(बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है)

अनुबंध I-सी

क्षतिपूर्ति/ ज़मानत का बॉण्ड *

(राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार विधिवत स्टाम्प लगाया जाना चाहिए)

(विधिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए बिना दिवंगत ग्राहक के जमा खातों में दावे के निपटान के लिए)

शाखा प्रबंधक दिनांक:

_____ बैंक

_____ शाखा

आपके द्वारा हमें भुगतान करने या भुगतान करने पर सहमति देने के विचार में,

(यहां दावेदार(रों) का नाम लिखें)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

आपके बैंक में श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम से निम्नलिखित जमा खातों में जमा रुपये _____, न्यायालय के आदेश या वसीयत की प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना:

क्र. सं.	**जमा की प्रकृति (एसबी/सीए/टीडी, आदि)**	**खाता सं.**	**मात्रा**	**परिपक्वता तिथि (टीडी के मामले में)**
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				

हम, _____, इसके द्वारा

(यहां **दावेदार(यों)/ ज़मानतदारों का नाम उल्लेख करें)

स्वयं और हमारे उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों के लिए, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से आपको, बैंक, उसके अधिकारियों/निदेशकों, और उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को सभी दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, शुल्कों और खर्चों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त दावेदार(रों) को उक्त राशि का भुगतान करने/या भुगतान करने के लिए सहमत होने के परिणामस्वरूप या कारणों से आपके विरुद्ध उठाए जा सकते हैं या आपके द्वारा वहन किए जा सकते हैं।

उक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(दिवंगत ग्राहक के उत्तराधिकारी/दावेदार)

उक्त नामित द्वारा _____दिन _____ दो हजार _____ को हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

* उक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

1. _____

2. _____

(जमानतदार)

उक्त नामित द्वारा _____दिन _____दो हजार_____ को हस्ताक्षरित और वितरित।

* ज़मानत केवल निर्धारित सीमा से ऊपर के दावों के मामले में ही लागू होती है।

**(जो लागू न हो उसे हटा दें)

ज़मानतदार पर राय रिपोर्ट

ए. ज़मानतदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1.	पूर्ण में नाम	
2.	पता	
3.	शैक्षणिक योग्यता	
4.	आयु	
5.	व्यवसाय (यदि कार्यरत हैं, तो कृपया नियोक्ता का नाम और कब से कार्यरत हैं, बताएँ)।	
6.	वर्तमान मासिक आय/वेतन	
7.	सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय	
8.	आश्रितों की संख्या	
9.	**व्यक्तिगत आस्ति**	
a.	अचल संपत्ति, जैसे भूमि/भवन, आदि। (कृपया अधिग्रहण, वर्तमान मूल्य आदि का विवरण दें)	
b.	निवेश (सावधि जमा, शेयर, आदि, यदि कोई हो)	
c.	जीवन बीमा योजना	
d.	अन्य आस्तियां	
e.	बैंक खातों का विवरण, यदि कोई हो (खाता संख्या सहित बैंक का नाम और पता (बचत बैंक/चालू) प्रस्तुत किया जाए)।	
10.	व्यक्तिगत दायित्व, यदि कोई हो	
11.	कृपया बताएं कि क्या ज़मानत दावेदार(रों) से संबंधित है हाँ/नहीं	
12.	वह अवधि जिसके लिए दावेदार ज्ञात हैं	वर्ष.

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर
(ज़मानतदार)

बी. बैंक अधिकारी की टिप्पणियाँ

अनुबंध I-डी

अस्वीकरण/अनापत्ति पत्र

(राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार विधिवत स्टाम्प लगाया जाएगा)

शाखा प्रबंधक

_____ बैंक

_____ शाखा

महोदय,

श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम पर जमा खाता(खातों)/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं/सुरक्षित जमा लॉकर का विवरण निम्नानुसार है:

ए. जमा खाते

क्र. सं.	**जमा की प्रकृति (एसबी/ सीए/ टीडी, आदि.)**	**खाता सं**	**मात्रा**	**परिपक्वता तिथि (टीडी के मामले में)**
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				

बी. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____ धारण करने का तरीका: _____

सी. सुरक्षित अभिरक्षा लेख रसीद संख्या _____

लेखों का विवरण (यदि ज्ञात हो): _____

2. उपर्युक्त खाते(खातों)/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के संदर्भ में, मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत ग्राहक का नाम) के विधिक उत्तराधिकारी, यह सूचित करना चाहते हैं कि उक्त जमा/परिसंपत्तियों में हमारा कोई हित नहीं है और इसलिए श्री/श्रीमती/कुमारी

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

को श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत ग्राहक का नाम) के नाम से आपके पास पड़ी उपरोक्त *खाते(खातों) में शेष राशि का भुगतान करने/सुरक्षित जमा लॉकर में सामग्री को छोड़ने/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं को को वापस करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त *खाते(खातों) में शेष राशि का भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकर में रखी सामग्री को वापस करना/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं को वापस करना हमारे लिए पूरी तरह बाध्यकारी होगा और ऐसा करने में हम बैंक की कार्रवाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाएँगे। मैं/हम स्वयं, अपने उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को इस घोषणा को रद्द न करने के लिए बाध्य करते हैं।

क्र. सं.	**गैर-दावेदार विधिक उत्तराधिकारी का नाम (जो अपने अधिकारों का त्याग करते हैं)**	**आयु (वर्ष)**	**हस्ताक्षर**
1			
2			
3			
4			

_____दो हजार _____ के इस _____दिन पर हस्ताक्षर किए गए।

*(जो लागू न हो उसे हटा दें)

अनुबंध I-ई

<u>घोषणा/शपथ पत्र</u>

(राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार विधिवत स्टाम्प लगाया जाएगा)

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____

निवासी _____

एतद्द्वारा *शपथ लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत ग्राहक का नाम) जिन्हें इसके बाद "दिवंगत" कहा जाएगा, की मृत्यु _____को _____ पर बिना वसीयत के हो गई।

2. मैं दिवंगत और उसके परिवार को पिछले _____ वर्षों से जानता हूँ।
3. अपनी मृत्यु के समय, दिवंगत ने अपने पीछे निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवित छोड़ा था, जो उस कानून के अनुसार जिसके द्वारा वे शासित हैं, दिवंगत के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, जो बिना वसीयत के उत्तराधिकार के आधार पर दिवंगत की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं:

क्र. सं	**नाम**	**आयु (वर्ष)**	**दिवंगत के साथ संबंध**
1			
2			
3			
4			

4. मैं किसी भी तरह से दिवंगत या उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति से संबंधित नहीं हूं और न ही दिवंगत की संपत्ति में मेरा किसी भी प्रकार का कोई दावा या हित है।
5. मुझे सूचित किया गया है, और मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि दिवंगत ने कुछ *जमा/सुरक्षित जमा लॉकर/सामान _____ बैंक _____ शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ दिया है, जिस पर उपर्युक्त व्यक्ति दावा करने के हकदार हैं।

6. मैं यह घोषणा पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से यह मानते हुए कर रहा हूँ कि यह सत्य है और मुझे पूरा ज्ञान है कि इस घोषणा के आधार पर ही _____ बैंक _____ शाखा, मेरे अनुरोध पर उपरोक्त व्यक्तियों को जमा राशि का भुगतान करने और *सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं को सौंपने के लिए सहमत हो गई है, इसके लिए किसी सक्षम न्यायालय से दिवंगत की संपत्ति के लिए विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

_____दो हजार_____ के इस _____दिन पर *शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

_____ की उपस्थिति में **मेरे सामने**

नोटरी पब्लिक/ न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट **

*(जो भी लागू न हो उसे हटा दें)

** घोषणा को नोटरी पब्लिक/न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र के रूप में तभी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जब दावे की राशि निर्धारित सीमा से अधिक हो।

अनुबंध I-एफ

सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र

_____बैंक की _____ शाखा में स्थित सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____, जो

* श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत) द्वारा अपने नाम से,

* श्री/श्रीमती/कुमारी(i) _____ (दिवंगत)

(ii) _____

(iii) _____

द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था, की सामग्री की निम्नलिखित सूची इस _____ दिन _____ दो हजार _____ को लिया गया।

क्र. सं.	**सुरक्षित जमा लॉकर में वस्तुओं का विवरण**	**अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

2. सूची के प्रयोजन के लिए, लॉकर का पहुँच नामिती/उत्तरजीवी/विधिक उत्तराधिकारी/ वसीयत में नामित लाभार्थी या उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को दी गई थी:

- * उसके/उनके अनुदेशों के तहत लॉकर को तोड़कर।
- * जिसने/ जिन्होंने लॉकर की चाबी दी।

3. उक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:

(i) **दिवंगत किरायेदार(रों) की नामिती/ उत्तराधिकारी/ वसीयत में नामित लाभार्थी या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि**

श्री/श्रीमती/कुमारी_____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती/कुमारी_____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

और

(ii) संयुक्त किरायेदारों के मामले में उत्तरजीवी (यदि लागू हो)

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती/कुमारी_____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

(iii) साक्षी(साक्षीयों)

श्री/श्रीमती/कुमारी_____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती/कुमारी_____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

(iv) बैंक की ओर से

अभिरक्षक:

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता _____ _____

(हस्ताक्षर)

अभिरक्षक के अलावा अन्य बैंक कर्मचारी:

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता _____ _____

(हस्ताक्षर)

*(जो लागू न हो उसे हटा दें)

_____

पावती

* **मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी**_____

_____

_____

(नामिती/विधिक उत्तराधिकारी/ वसीयत में नामित लाभार्थी या उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

_____

_____

(जीवित किरायेदार, यदि लागू हो)

इसके द्वारा उक्त सूची में वर्णित सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं।साथ ही, लॉकर में रखी सभी सामग्री निकाल ली गई है और लॉकर खाली है, और मुझे/हमें बैंक के मानदंडों के अनुसार किसी अन्य लॉकर किरायेदार को लॉकर आवंटित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

हस्ताक्षर

दिनांक और जगह _____

(*जो भी लागू न हो उसे हटा दें)

अनुबंध I-जी

सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (दिवंगत) द्वारा, दिनांक _____ के एक समझौते/रसीद संख्या ____ के तहत, बैंक की _____ शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की निम्नलिखित सूची आज _____ दिन _____ दो हजार _____ को ली गई थी।

क्र. सं.	**सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं का विवरण**	**अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

2. उक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:

(i) नामिती या विधिक उत्तराधिकारी या नामिती (नाबालिग नामिती सहित)/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

(ii) साक्षी(साक्षियों)

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

(iii) बैंक की ओर से

अभिरक्षक:

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

संरक्षक के अलावा अन्य बैंक कर्मचारी:

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

पावती

*मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ नामिती/विधिक उत्तराधिकारी/ अधिदेश धारक

*हम, श्री/श्रीमती/कुमारी _____

_____

_____विधिक उत्तराधिकारी, और

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

_____

_____ जीवित किरायेदार

इसके द्वारा, उक्त सूची में वर्णित सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

(विधिक उत्तराधिकारी/ अधिदेश धारक)

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ हस्ताक्षर _____

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ हस्ताक्षर _____

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ हस्ताक्षर _____

दिनांक और जगह _____

(*जो भी लागू न हो उसे हटा दें)

अनुबंध I-एच

दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए वस्तुओं की सामग्री की डिलीवरी के संबंध में क्षतिपूर्ति बॉण्ड

(विधिक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना निपटाए गए दावों के मामले में प्रस्तुत किया जाना है)

(राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प किया जाना है)

शाखा प्रबंधक

_____ बैंक

_____ शाखा

आपके द्वारा मुझे/हमें डिलीवरी देने या डिलीवरी करने पर सहमति देने के विचार में,_____

_____

(दावेदार (दावेदारों)

नीचे उल्लिखित लेख:

सुरक्षित जमा लॉकर संख्या/सुरक्षित संरक्षण वस्तु रसीद संख्या	**लेखों का विवरण**	**विवरण**	**भार**	**मूल्यांकन (बैंक द्वारा भरा जाना है)**

और श्री/श्रीमती/कुमारी _____ के नाम पर रखा गया है, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, बिना किसी वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र/न्यायालय आदेश के प्रोबेट प्रस्तुत किए।

मैं/हम _____ और _____

(दावेदार)

हम अपने और अपने उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों के लिए, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से आपको, बैंक, इसके अधिकारियों/निदेशकों और इसके उत्तराधिकारियों

और समनुदेशितियों को सभी दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जो आपके द्वारा दिवंगत की उपर्युक्त वस्तुओं को सुरक्षित जमा लॉकर/सीलबंद बक्सों से सुरक्षित अभिरक्षा में मुझे/हमें सौंपने या देने के लिए सहमत होने के कारण या परिणामस्वरूप आपके विरुद्ध उठाए जा सकते हैं या आपके द्वारा वहन किए जा सकते हैं।

उक्त नामित द्वारा इस _____ दिन _____ दो हजार _____ को हस्ताक्षरित और वितरित ।

उक्त नामित द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

(1) _____

(2) _____

(दावेदार/दावेदारों)

अनुबंध II

निरस्त किए गए परिपत्र/ परिपत्रों का भाग की सूची

क्र. सं.	अधिसूचना/परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.38/सी.233ए-85	29/03/1985	अधिसूचना
2.	शबैंवि.बीआर.764/बी.1-84/85	29/03/1985	अधिसूचना
3.	बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.95/09.07.005/2004-05	09/06/2005	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण
4.	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ़.बीसी.सं.12/07.38.01/2005-06	12/07/2005	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण
5.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.4/13.01.00/2005-06	14/07/2005	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण - शहरी सहकारी बैंक
6.	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.बीसी.22/03.05.33/2005-06	19/07/2005	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण
7.	बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.80/09.07.005/2007-08	02/05/2008	लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
8.	शबैंवि (पीसीबी) बीपीडी.परि सं:45/13.01.000/2007-08	12/05/2008	लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
9.	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ़.बीसी.सं.70/07.38.01/2007-08	14/05/2008	लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
10.	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.26/03.05.33/2008-09	12/09/2008	लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
11.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.32/13.01.000/2012-13	21/01/2013	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण - शहरी सहकारी बैंक
12.	बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.48/09.07.005/2013-14	03/09/2013	मृतक जमाकर्ता के दावों का निपटान – प्रक्रिया का सरलीकरण – बैंक की वेबसाइट पर दावा प्रपत्रों का रखा जाना
13.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.10/13.01.000/2013-14	05/09/2013	दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान – क्रियाविधि का सरलीकरण – दावा फार्म बैंक की वेबसाइट पर डालना

क्र. सं.	अधिसूचना/परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
14.	ग्राआक्रवि. केंका.आरआरबी.बीसी.सं.33/ 03.05.33/2013-14	10/09/2013	मृत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान – क्रियाविधि का सरलीकरण – दावा फार्म बैंक की वेबसाइट पर डालना
15.	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.30/ 07.51.014/2013-14	10/09/2013	मृत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान – क्रियाविधि का सरलीकरण – दावा फार्म बैंक की वेबसाइट पर डालना
16.	विवि.एलईजी.आरईसी/40/ 09.07.005/2021-22	18/08/2021	बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश पर परिपत्र का पैरा 5.2 एवं 5.3